

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल गुप्ता, आई.ए.एस

अपील संख्या: 80/2017 एल.आर.एक्ट

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक पकाई, सी-38, सादूलगंज, बीकानेर ।

अपीलान्त

बनाम

1. मु० राजकंवर पत्नी मोती सिंह
2. मदनसिंह
3. दिलीपसिंह पि० मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी नोखड़ा
4. रुप कंवर तहसील कोलायत जिला बीकानेर ।
5. सरोज कंवर
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड, बीकानेर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत ।
8. सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम, बीकानेर ।


.....रेस्पोंडेंट्स

- उपस्थित: 1- श्री रामावतार बुरी, अभिभाषक अपीलान्त ।  
2- श्री रामचन्द्रसिंह भाटी, अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं०1से 5  
3- श्री राजाराम सोनी, रेस्पोंडेंट 6 की ओर से ।  
4- श्री सुभाष सहू, राजकीय अभिभाषक ।

निर्णय

दिनांक 18-12-17


1. यह द्वितीय अपील भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड न्यायालय, कोलायत द्वारा प्रथम अपील सं० 16/2017 अनवान मु. राजकंवर वगैरह बनाम स्टेट में पारित किये गये निर्णय दिनांक 30.6.17 जिसके द्वारा प्रथम अपील स्वीकार कर उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं०1 का आदेश दिनांक 19.11.08 एवं ग्राम नोखड़ा का राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम स्वीकृत अवाप्ति इन्तकाल सं० 495 दिनांक 16.1.09 अपीलान्तान की हद तक निरस्त कर विवादित भूमि खसरा नं० 243/1 में 1.10 बीघा, खसरा नं० 350/1 में 18 बिस्वा, खसरा नं. 344/1 में 1.01बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्तान मु.राजकंवर वगैरह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये, के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट सं० 1ता 5 मु.राजकंवर वगैरह के नाम ग्राम नोखड़ा के खसरा नं० 243/1 में 100 बीघा, खसरा नं० 350/1 में 49 बीघा, खसरा नं. 344/1 में 80 बीघा भूमि बारानी भूमि संयुक्त खाते में गैर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी । जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15 बीकानेर से जैसलमेर वर्ष 1972 से संचालित हो रहा था। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6)विभाग, जयपुर के परिपत्र संख्या प.6(3)राज/6/86/3 दिनांक 5-2-96 के पैरा सं० 3 में लिये गये निर्णयानुसार सा.नि.वि. द्वारा संधारित सड़कों के अधीन जो राजकीय भूमि है, उसका हस्तान्तरण भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय को निःशुल्क किया जायेगा तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि सड़कों के अधीनस्थ ऐसी भूमि जो राजस्व विभाग अथवा सा.नि.विभाग के अधीनस्थ दर्ज हो, उसे इन मार्गों के राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित की जाने के फलस्वरूप सा.नि. विभाग के अनुरोध पर भारत सरकार के भू-तल मंत्रालय के नाम नामान्तरित कर दिया जावेगा । राजस्थान सरकार के उक्त परिपत्र की पालना हेतु जिला कलक्टर,

  
भारतीय राष्ट्रीय आयुक्त  
बीकानेर

बीकानेर के पत्रांक 2165-2175 दिनांक 7-4-2006 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 15 (बीकानेर से जैसलमेर) कि.मी. 0/0 से 90/0 की भूमि का नामान्तरकरण भारत सरकार के नाम दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये जाने पर सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा व नक्शा के अनुसार उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं०1 द्वारा पटवारी हल्का के निमित्त पत्रांक ओके/08/4229 दिनांक 19.11.08 जारी कर अंकन की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रदान किया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण दर्ज कर प्रस्तुत करने पर उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं०1 द्वारा ग्राम नोखड़ा के खसरा सं० 243/1 में 1.10 बीघा, खसरा नं० 350/1 में 18 बिस्वा, खसरा नं. 344/1 में 1.01 बीघा भूमि का पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम नामान्तरकरण सं० 495 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत कर दिया गया । उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत सं०1 द्वारा स्वीकृत किये गये उक्त नामान्तरकरण सं० 495 दिनांक 16-1-09 के विरुद्ध रेस्पोंडेंट सं०1 ता 5 मु. राजकंवर वगैरह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष प्रथम अपील सं० 16/17 अनवान प्रस्तुत की गयी, जिसमें निर्णय दिनांक 30.6.2017 द्वारा मु.राजकंवर वगैरह की प्रथम अपील स्वीकार की जाकर उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं०1 का आदेश दिनांक 19.11.08 एवम् ग्राम नोखड़ा का राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम स्वीकृत अवाप्ति इत्तकाल सं. 495 दिनांक 16.1.09 अपीलान्त की हद तक निरस्त कर विवादित भूमि खसरा नं० 243/1 में 1.10 बीघा, खसरा नं० 350/1 में 18 बिस्वा, खसरा नं. 344/1 में 1.01 बीघा राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्तस राजकंवर वगैरह के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. दिनांक 22.8.2017 को यह अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी की गयी एवम् अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया । अपील में उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी है ।

4. अभिभाषक अपीलान्त ने अपनी बहस में बताया रेस्पोंडेंट सं० 1ता 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं०1 के आदेश दिनांक 19.11.08 व राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम स्वीकृत अवाप्ति नामान्तरकरण सं० 495 दिनांक 16.1.09 को अपास्त कराने हेतु दो आदेशों की एक ही अपील प्रस्तुत की गयी है, जो विधि सम्मत नहीं है । इस सम्बन्ध में आरआरडी 1983 पृष्ठ 811 अवलोकनीय बताया । यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट सं०1 राजकंवर वगैरह द्वारा धारा 75 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति नामान्तरकरण सं० 495 दिनांक 16.1.09 के विरुद्ध प्रथम अपील 8 वर्ष बाद पेश की गयी है । रेस्पोंडेंट ने प्रथम अपील में प्रस्तुत धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में लिखा है कि अपीलाधीन आदेश की पटवारी हल्का से जानकारी तब हुई, जब उसके द्वारा दिनांक 8-9-16 को कब्जा छोड़ने हेतु कहा गया । रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है, जिससे कथन सत्य साबित हो सके, जैसा कि आरआरडी 1990 पेज 545(ए) में अभिनिर्धारित किया गया है । इसके अलावा जानकारी 8.9.16 के दिन से प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है । किन्तु उक्त प्रकरण में प्रथमतः मियाद बिन्दु तय किये बिना दिनांक 30.6.17 को अपील का गुणावगुण पर अन्तिम निस्तारण कर दिया, जबकि सर्वप्रथम धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना आवश्यक था । उपखण्ड न्यायालय कोलायत ने अपीलान्त को सुनवाई का अवसर दिये बिना राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम दर्ज नामान्तरकरण सं० 495 दिनांक 16.1.09 निरस्त कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत है । अभिभाषक अपीलान्त ने मियाद बिन्दु पर नजीर आरआरडी 1990 पेज 545 एवं आरआरडी 2013 पेज 788 अवलोकनीय प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर ही निरस्त योग्य थी ।

  
 लभागाम्भ आयुक्त  
 बीकानेर

5. अभिभाषक अपीलान्त आगे बहस में बताया कि ग्राम नोखड़ा के खसरा नं० 243/1 में 1.10 बीघा, खसरा नं० 350/1 में 18 बिस्वा, खसरा नं. 344/1 में 1.01 बीघा भूमि 9 वर्ष पूर्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम अवाप्ति नामान्तरकरण सं० 495 दिनांक 16-1-09 राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत किया गया है तथा मौके पर वर्ष 1972 से राष्ट्रीय राज मार्ग चालू है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 के अनुसार स्वीकृत नामान्तरकरण फिस्कल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अन्तिम रूप से अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अन्तिम रूप से अधिकार सिविल वाद के द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में आरआरटी 2013 (2) पेज 1054 DBHC अवलोकनीय बताया। उपखण्ड न्यायालय कोलायत ने मनमाने ढंग से अपीलान्तेन आदेश दिनांक 30.6.17 पारित कर रेस्पॉन्डेंट्स की प्रथम अपील स्वीकार की गयी है, जो निरस्त योग्य है। यह कि भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 45 मीटर भूमि वन विभाग के लिए संरक्षित की गयी है। वन विभाग के लिए संरक्षित की गयी भूमि को रेस्पॉन्डेंट की भूमि नहीं मानी जा सकती है। उक्त भूमि को भी रेस्पॉन्डेंट की भूमि में से नहीं घटाया गया है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (अपीलान्त) के निमित्त जारी किये गये नोटिस की दिनांक 18.5.17 को सांय 4.00 बजे तामील हुई, इस पर अधीनस्थ न्यायालय में दूरभाष से पूछा गया तो राजस्व अभियान चलने से तारीख पेशी बाद में पता करना अवगत कराया तथा दिनांक 30-6-17 को इकतरफा तौर पर सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अभिभाषक अपीलान्त ने आगे अपनी बहस बताया कि अपीलान्त ने सिर्फ नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील पेश की है, भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के मुआवजे की मांग नहीं की गयी है। जबकि आरआरडी 1987 पेज 97 एवं पेज 106 के अनुसार नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रक्रिया है, नामान्तरकरण की कार्यवाही में किसी के अधिकार तय नहीं होते हैं। भूमि का मालिक राज्य सरकार होने से राज्य सरकार द्वारा जब चाहे भूमि अवाप्त की जा सकती है। रेस्पॉन्डेंट सिविल न्यायालय के समक्ष मुआवजा की मांग कर सकते हैं। इस कारण से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.6.17 निरस्त योग्य है। अभिभाषक अपीलान्त ने यह भी बताया कि रेस्पॉन्डेंट सं० 1 ता 5 के नाम शामिल खाते में ग्राम नोखड़ा के खसरा नं. 243/1 में 100 बीघा, खसरा नं० 350/1 में 49 बीघा, खसरा नं. 344/1 में 80 बीघा बारानी भूमि संयुक्त खाते में गैर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी जिसमें से राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 15 वर्ष 1972 से कायम था। राजस्व रिकॉर्ड में एन.एच का नाम पूर्व में दर्ज नहीं होने से राज्य सरकार के आदेशानुसार पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम अवाप्ति का नामान्तरकरण दर्ज किया गया है। अभिभाषक अपीलान्त ने उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर अपील अपीलान्त स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
6. प्रकरण में अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट 1 ता 4 की ओर से लिखित बहस में बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए 8 वर्ष विलम्ब के लिए क्षमा प्रदान कर अपील गुणावगुण पर निर्णीत की गयी है, जो सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बिन्दु पर सुनवाई के पश्चात, अपील को मियाद में शुमार किया गया है। मियाद बिन्दु पर अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट द्वारा नजीर आर.एल. डब्लू 2014 (1) पेज 1 एवम आरआरडी 2006 पेज 397 अवलोकनीय बताया तथा निवेदन किया कि मियाद बिन्दु पर प्रस्तुत रुलिंग के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की फाइलिंग को यथावत रखा जावे।
7. अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट ने आगे अपनी बहस में बताया कि राज्य सरकार के राजस्व गुप-6 विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र सं०प.6(3)राज-6/86/3 जयपुर दिनांक 5.2.1996 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों के अधीन जो राजकीय भूमि है, उसका हस्तान्तरण

भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय को निःशुल्क किया जायेगा तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि सड़कों के अधीनस्थ ऐसी भूमि जो राजस्व अभिलेख में राजस्व विभाग अथवा सा.नि.विभाग के अधीनस्थ दर्ज हो, उसे इन मार्गों के राष्ट्रीय राज मार्ग घोषित की जाने के फलस्वरूप सा.नि.विभाग के अनुरोध पर भारत सरकार के भू-तल परिवहन मंत्रालय के नाम नामान्तरित कर दिया जावेगा । परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्य ऐसी सड़कों के अधीनस्थ भूमि के एक बार हस्तान्तरण/नामान्तरकरण के उपरान्त यदि इन मार्गों के सुधार हेतु भारत सरकार के भू-तल मंत्रालय द्वारा कोई निजी भूमि अवाप्त की जाती है अथवा राजकीय भूमि आवंटित करायी जाती है तो उसके लिए नियमानुसार कीमत वसूल की जायेगी । इस परिपत्र के लिए वित्त विभाग की सहमति आइ.डी. क्रमांक 730 दिनांक 17.10.95 से प्राप्त कर ली गयी है और यह आदेश सा.नि. विभाग से भी पुष्ट है । उपरोक्त परिपत्र की विवेचना किये बिना ग्राम नोखड़ा के खसरा सं० 243/1 में 1.10 बीघा, खसरा नं० 350/1 में 18 बिस्वा, खसरा नं. 344/1 में 1.01बीघा भूमि का पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम नामान्तरकरण सं० 495 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत किया गया, जबकि परिपत्र की पालना में मुतनाजा भूमि अवाप्त की जाकर नियमानुसार मुआवजा राशि वितरण के पश्चात ही भूमि अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरित की जा सकती थी । प्रकरण में बिना अवाप्ति प्रक्रिया अपनाये रेस्पोंडेंट की भूमि सीधे ही अपीलान्ट के पक्ष में जरिये नामान्तरकरण दर्ज कर दी गयी, जो नियमानुसार गलत है । जहां तक क्षेत्राधिकारिता का प्रश्न है, जब आराजी मुतनाजा भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवाप्त किये जाने का कोई आदेश अथवा परिपत्र अथवा राजपत्र अथवा नोटिफिकेशन जारी ही नहीं किया गया तो प्रकरण सिविल न्यायालय के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रकरण में उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं.1 द्वारा पटवारी हल्का के नाम आदेश दिनांक 19.11.08 पारित नामान्तरकरण 495 दिनांक 16.1.09 सीधे ही राष्ट्रीय राज मार्ग भारत सरकार के नाम दर्ज किया गया था । उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध नियमानुसार एल.आर एक्ट की धारा 75 के अन्तर्गत प्रथम अपील जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रावधान है । नामान्तरकरण अपने आप में आदेश नहीं है, अतः रेस्पोंडेंट-1 द्वारा आदेश की पालना में किये गये नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है । उपखण्ड अधिकारी कोलायत को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 4.12.15 द्वारा उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं० 1,2,3 में सम्मिलित राजस्व तहसील कोलायत के क्षेत्र सहित कलेक्टर की समस्त कृत्यों का पालन करने हेतु शक्तियां प्रदत्त है । ग्राम नोखड़ा उपनिवेशन तहसील कोलायत में था, जो डिनोटिफिकेशन के बाद राजस्व तहसील कोलायत में आया है । उपखण्ड न्यायालय कोलायत द्वारा प्रथम अपील में सही एवं कानून सम्मत निर्णय पारित किया, अतः द्वितीय अपील निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.17 यथावत रखा जावे ।

8. द्वितीय अपील में रेस्पोंडेंट सं० 06 की ओर जवाब में बताया कि बीकानेर से जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच-15 वर्ष 1972 से चल रहा है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी राज दर्ज थी । पूर्व में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गयी । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.09.15 से सड़क का हस्तान्तरण सम्भाल लिया गया है, इसके पश्चात उन्हीं के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है ।


9. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि राजस्व अभिलेख में भूमि सड़क में तब्दीली का अंकन नहीं होने से राज्य सरकार तथा जिला कलेक्टर के आदेशों की पालना में उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं० 01 द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्ष में नामान्तरकरण सं० 493 दिनांक 16.1.09 पोत परिवहन, सड़क परिवहन, और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नाम स्वीकृत किया गया है । राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 45 मीटर भूमि वन विभाग के

लिए संरक्षित की गयी है। वन विभाग के लिए संरक्षित की गयी भूमि को रेस्पॉन्डेंट की भूमि नहीं मानी जा सकती है। रेस्पॉन्डेंट की कोई कृषि भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग के नाम इन्तकाल सं. 493 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत होने के पश्चात और यदि कोई भूमि केन्द्र सरकार द्वारा अवाप्त की जाकर गजट में प्रकाशन होता है तो उसके द्वारा सक्षम न्यायालय में चैलेंज कर मुआवजे के जरिये रिलीफ प्राप्त की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य है।

10. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 5.2.96 की पालना में उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत नं01 द्वारा पोत परिवहन-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण सं0 495 दिनांक 16.1.09 के विरुद्ध रेस्पॉन्डेंट मुराजकंवर वगैरह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 8 वर्ष पश्चात दिनांक 13.4.17 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसमें स्वयं अपीलान्त ने अपील के संलग्न प्रस्तुत धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8-9-16 को पटवारी हल्का से होनी बताई गयी है। उक्त अपील में प्रथमतः मियाद बिन्दु तय किये बिना इकतरफा बहस सुनी जाकर दिनांक 30.6.17 को गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है, जबकि उक्त अपील 8 वर्ष मियाद बाहर थी और अपीलान्त द्वारा धारा-5 मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 8-9-16 से भी प्रथम अपील 186 दिवस मियाद बाहर थी, जिसका कोई पर्याप्त एवं सन्तोषजनक कारण अभिभाषक रेस्पॉन्डेंट द्वारा धारा-5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है, जबकि विलम्ब के लिए प्रतिदिन का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। विलम्ब के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय प्रकरण के गुणावगुण को नहीं देखा जाना चाहिये तथा विलम्ब अपशमन के लिए पर्याप्त एवं सन्तोषजनक कारण पेश नहीं किये गये हैं तो अपील विलम्ब के आधार पर खारिज करदी जानी चाहिये। इस प्रकार प्रथम अपील मियाद बिन्दु पर संधारण योग्य नहीं थी।
11. प्रकरण में उपखण्ड न्यायालय, कोलायत द्वारा प्रथम अपील में अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.17 पारित करने में मुख्य आधार यह लिया गया है कि उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 द्वारा बिना भूमि अवाप्ति के ही अपीलान्त की विवादित भूमि सड़क एवं पोत परिवहन विभाग भारत सरकार के नाम दर्ज करने के आदेश दिनांक 19.11.08 जारी कर पालना में इन्तकाल सं0 495 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत किया गया है, जो नियमों के विपरीत है।
12. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय में लिया गया उक्त आधार स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय राज मार्ग बीकानेर से जैसलमेर वर्ष 1972 से संचालित है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से पूर्व ग्रेवल सड़क थी तथा सड़क के पास वन विभाग की संरक्षित भूमि है। राजस्थान सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 5.8.78 के द्वारा राजमार्ग के दोनों ओर स्थित वृक्षों को संरक्षित वन क्षेत्र माना गया है। वन विभाग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि जमा करवाई गयी है। प्रकरण में रेस्पॉन्डेंट की विवादित भूमि वर्ष 1972 से पूर्व ही ग्रेवल सड़क व राष्ट्रीय राजमार्ग व राजमार्ग के पास संरक्षित वन क्षेत्र में हस्तान्तरित हो चुकी है, किन्तु पूर्व में हस्तान्तरित हुई भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने से राजस्थान सरकार के राजस्व गुप-6 विभाग जयपुर के परिपत्र संख्या प.6 (3)राज/6/86/3 दिनांक 5.2.96 के पैरा सं03 में लिये गये निर्णय पालना में उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। रेस्पॉन्डेंट खातेदार काश्तकार भी नहीं थे, बल्कि गैर खातेदार थे, इन्होंने विवादित गैर खातेदारी भूमि वर्ष 1972 से पूर्व ही परित्याग कर खेती का उपयोग बन्द कर दिया था एवम् इस भूमि पर वर्ष 1972 के पश्चात कभी भी काश्त नहीं की गयी है न ही पूर्व में कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 60(4) एवं 63(1)(4) के प्रावधानों के अनुसार यह उपधारणा किया जाना उचित है कि जिस भूमि पर राज्य राजमार्ग चल रहा था, उस जोत पर काश्तकार द्वारा पर खेती का उपयोग करना बन्द करने से वह अधिपत्य से वंचित कर दिया गया है तथा अधिपत्य पुनः लेने का उसका अधिकार अवधि बाधित हो गया है । प्रकरण में राज्य सरकार के अदेशानुसार उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 द्वारा अनुमोदित सर्वे खसरा के अनुसार ग्राम नोखड़ा के खसरा सं0 243/1 में 1.10 बीघा, खसरा नं0 350/1 में 18 बिस्वा, खसरा नं. 344/1 में 1.01बीघा विवादित भूमि पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के नाम से दर्ज कर नामान्तरकरण सं0 495 दिनांक 16.1.09 स्वीकृत किया गया है । राज्य की ऐसी सड़कों के अधीनस्थ भूमि के एक बार हस्तान्तरण व नामान्तरकरण के उपरान्त यदि इन मार्गों के सुधार हेतु भारत सरकार के भू-तल व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा और कोई निजि भूमि अवाप्त कर यदि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचना का भारत के राजपत्र में प्रकाशन कर केन्द्रीय सरकार में निहित की जाती है तो वह नियमानुसार मुआवजा पाने के लिए सक्षम अधिकारी के यहां चाराजोई करने के लिए स्वतंत्र है ।

13. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवम् प्रथम अपीलीय अधिकारी उपखण्ड न्यायालय कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.6.17 को अपास्त किया जाता है तथा उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं01 का आदेश दिनांक 19.11.08 एवं पालना में ग्राम नोखड़ा के खसरा सं0 243/1 में 1.10 बीघा, खसरा नं0 350/1 में 18 बिस्वा, खसरा नं. 344/1 में 1.01बीघा भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 495 दिनांक 16.1.09 यथावत रखा जाता है ।
14. तदनुसार अपील अपीलान्त निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(अनिल गुप्ता)  
सम्भागीय आयुक्त  
बीकानेर